

तारीख हुक्म	राजू व नाम जीतु हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ता. 07/2021 (2021/251)
07 ¹² / ₂₀₂₂	<p> पत्रपत्नी येरा हुई। अखिवक्ता वारी 330 वारी से तहसील से मौका विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए व अखिवक्ता वारी 5182 नि.नं. 2919/2022 को प्रार्थना 022 R 10 जा.दी. प्रस्तुत किया जो अखिवक्ता वारी 5182 नि.नं. 2919/2022 को प्रार्थना 022 R 10 जा.दी. मौका विभाजन प्रस्ताव एवं 9 अक्टूबर 2022 को जा.दी. रेकर्ड पर लिए जाते हैं। प्रार्थना पत्र 022 R 4 जा.दी. पर बहल अखिवक्ता वारी खुली गयी। </p> <p> हमने पत्रपत्नी का अल्लोकाशन पर बहल अखिवक्ता प्रार्थना वारी पर भरण किया। तहसील से प्राप्त मौका विभाजन प्रस्ताव के साथ प्राप्त गणना जमाबंदी में ज. अ. नं. 186 से स्पष्ट है कि रेकर्ड में परिवारी सम्बंध पिता शिला का नाम व हेमल नन्दा पिता जीतु बागरीया का नाम जो रेकर्ड है एवं तहसीलदार चिसेजार 5182 प्रस्तुत मौका विभाजन प्रस्ताव से भी नन्दा पिता जीतु बागरीया का नाम निकल किता है। अतः वारी का प्रार्थना पत्र अखिवक्ता वारी 22 नि.नं. 10 जा.दी. स्वीकार किया जाकर "नन्दा पिता जीतु बागरीया" को परिवारी लगेगा 9 के रुच से पहला प्र. क्रमांक जो कोश रिफ जाते हैं। अखिवक्ता वारी 5182 प्रस्ताव अखिवक्ता प्रस्तुत किया जा जो अखिवक्ता वारी है। </p> <p> अखिवक्ता वारी के निवेदन पर प्राप्त मौका विभाजन प्रस्ताव पर बहल प्रार्थना खुली गयी। प्राथमिक डिक्री आदेशानुसार </p> <p style="text-align: center;"> 20 (गामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं मुख्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p>

राज्य वनाय जीव
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
वार 97/2021 (2021/251)

नम्बर व नारायण
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

तहसीलदार चिर्बोडागड द्वारा भूमि के
विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए
गए जिल्लमे वारी का खाल दल्ला
किया जागा प्रस्तावित किया है ~~विभाजित~~
~~विभाजन~~ जिल्लमे वारी सहमत हो इस
प्रकार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अर्थात्
डिस्ट्री के अंगुल्य लेके ले वारी का वार
एक बावत भूमि अभोलिया स्थित
आ.स. 509, 510, 511, 512 कीता प
कुल रकब 1.40 हे. भूमि बावत - हस्त
विभाजन प्रस्ताव निर्माणाकार अन्तिम
डिस्ट्री किया जात है :-

क्र.सं.	नाम खेतदार	आ.स.	रकब	अंगुल्य
1-	राजुलाल पित्त -	510	0.59	14.61
	मगनी राम मुर्जर	मेरु पूर्व अंग		
	सा.देह खेतदार	511 मेरु पूर्व अंग	0.24	9.60
	कीता	2	0.83	24.21
2	उरी पत्नी दल्ला 1057/6500	509	0.21	5.25
	जीवु (सा.देह जीवु पित्त)	510 मेरु पश्चिमी अंग	0.11	2.89
	दल्ला 1057/6500 (सा.देह)	511 मेरु पश्चिमी अंग	0.28	3.40
	नन्दा पित्त जीवु 1057/6500	512	0.05	-
	सा.कोशादेह			
	पोरपर पित्त केरिंग 1850/6500 अंत पित्त			
	दानु 264/6500 रामी पित्त केरिंग 1027/6500			
वीरम पित्त देवी 151/6500 जाति				
अशिया सा.देह खेतदार				
	कीता	4	0.65	11.54

उपर्युक्तानुसार राजत्व रेकार्ड में हमला (रामा
विभाजित जमीनें विभाजन प्रस्ताव के साथ प्राप्त नम्बरा
है ल डिस्ट्री का पार्ट रहेगा। निर्णय लेने उजाला
अनुयाया गया। निर्माणकार डिस्ट्री जारी हो। परादली
प्रेसल अमार होफ नम्बर ले कम हो।

(रामचन्द्र खटीक)
महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चिर्बोडागड

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ़ बईजलास
श्री रामचन्द्र खटीक उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर चित्तौडगढ़

1.राजु पिता मगनीराम गुर्जर नि.आमोलिया तह.व जिला चित्तौडगढ़

-वादी

बनाम

- 1.जीतु पिता दल्ला बागरिया नि.आमोलिया तह.व जिला चित्तौडगढ़
- 2.रामचन्द्र पिता दल्ला बागरिया नि.आमोलिया तह.व जिला चित्तौडगढ़ (हिस्सा विक्रय)
- 3.पोखर पिता केरिंग बागरिया नि.आमोलिया तह.व जिला चित्तौडगढ़
- 4.रामी पिता केरिंग बागरिया नि.आमोलिया तह.व जिला चित्तौडगढ़
- 5.भेरू पिता डालु बागरिया नि.आमोलिया तह.व जिला चित्तौडगढ़
- 6.विरम पिता देवी बागरिया नि.आमोलिया तह.व जिला चित्तौडगढ़
- 7.उदी बेवा दल्ला बागरिया नि.आमोलिया तह.व जिला चित्तौडगढ़
- 8.श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ़
- 9.नन्दा पिता जीतु बागरिया नि.रोलाहेडा तह.व जिला चित्तौडगढ़

-प्रतिवादीगण

प्र.स. 97/2021 (GCMS 2021/251)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री. राकेश पुरी गोस्वामी की, और प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री - की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र बाबत् मौजा आमोलिया स्थित आ.स. 509, 510, 511, 512, कीता 4 कुल रकबा 1.40 हे. भूमि बाबत् - हस्ब विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है :-

क्र. स	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	लगान
1.	राजुलाल पिता मगनीराम गुर्जर सा.देह खातेदार	510 मे से पूर्वी भाग 511 मे से पूर्वी भाग	0.59 0.24	14.61 9.60
	कीता	2	0.83	24.21
2.	उदी पत्नी दल्ला 1057/6500 सा. देह जीतु पिता दल्ला 1057/6500 सा.देह नन्दा पिता जीतु 1057/6500 सा.रोलाहेडा पोखर पिता केरिंग 1850/6500	509 510 मे से पश्चिमी भाग 511 मे से पश्चिमी भाग	0.21 0.11 0.28	5.25 2.89 3.40



(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

भैरू पिता डालु 264/6500 रामी पिता केरिंग 1027/6500 वीरम पिता देवी 151/6500 जाति बागरिया सा.देह खातेदार कीता	512	0.05	—
	4	0.65	11.54


उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 07.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



६०
(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़



नक्शा इलाका, आभोलिया
पं० ६० - बीरवा
तहसील - चिरोडा



आभोलिया
13/9/22
शंकर लाल बीरवा
पटवार इलाका, चिरोडा
तह. व. जिला - चिरोडा